जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Gen. No. 13

अपील सूचना का अधिकार संख्या 120/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19–01–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा0 पत्र संख्या 5071 दिनांक 01.07.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

> 1– दिनांक 22.06.2015 को कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में राजस्थान सम्पर्क के तहत दर्ज हुए मुकदमों से सम्बन्धित प्रकरणो के निस्तारण के सम्बन्ध में मीटिंग की मिनिटस की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 2– उपरोक्त मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के नाम व पद की सूचना।
> 3– राजस्थान सम्पर्क के तहत दर्ज प्रकरण्याो के निस्तारण हेतु जिन–2 अधिकारियों ने अपने विचार रखें या कथन कहे या लिखित में बात कही उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसे उक्त तीन बिन्दुओ की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्व 25000रूपये हर्जाना लगाया लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

उक्त सूचनांओ के संबंध में प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर का प्रतिवेदन दिनांक 14.09.2015 प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का उत्तर जरिये पत्र सं0 4839 दिनांक 29.07.2015 द्वारा निम्नानुसार दिया गया है और परिणाम स्वरूप उक्त पत्र पर स्वयं **अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल के दिनांक 30.07.15 को सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर हैः–**

> 1– बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना इस पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाई जा रही है।
> 2– बिन्दु संख्या 03 के सन्दर्भ में लेख है कि बैठक में कहे गये कथन बैठक की कार्यवाही विवरण में दर्ज कर दिये जाते है जिसकी छाया प्रति आपको भिजवाई जा रही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त तीन बिन्दुओ की सूचनांए दिनांक 30.07.2015 को स्वयं अपीलार्थी को दी जा चुकी है और परिणाम स्वरूप उसके हस्ताक्षर भी उक्त पत्र सं0 4839 दिनांक 29.07.2015 पर लिये गये है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्ति से एक माह पश्चात अपीलपत्र पेश कर उसमें यह कथन करना कि उसे सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है, सही नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर